**भारत के सर्वोच्च न्यायालय में**

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार

(दीवानी याचिका सं0.-4070/2016)

**निदेशक, पुरातत्व विभाग और संग्रहालय, जयपुर और अन्य।**

**... याचिकाकर्ता**

**बनाम**

**आशीष गौतम एवं अन्य।**

**...प्रतिवादी**

[न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और एस. रविन्द्र भट]

वन क्षेत्र और वन्यजीव - संरक्षण - यह मामला जयपुर, राजस्थान में स्थित एक स्मारक 'सिसोदिया रानी का बाग' ('स्मारक') से संबंधित है - वन्यजीवों की रक्षा और सुरक्षा हेतु रिजर्व फॉरेस्ट एरिया और स्मारक में लेजर लाइट, लाउड संगीत और आतिशबाजी के उपयोग पर रोक लगाने के लिये उचित निर्देश जारी करने के लिए एक रिट याचिका योजित की गई थी - उच्च न्यायालय ने मामले को एन.जी.टी. को स्थानांतरित कर दिया - प्राधिकरण ने कहा कि स्मारक वन क्षेत्र का हिस्सा है और निर्देश दिया कि विवाह आदि जैसे सामाजिक कार्यों को आयोजित करने स्मारक में तीव्र संगीत और आतिशबाजी के उपयोग के लिए कोई अनुमति नहीं दिया जाना चाहिए - पुरातत्व और संग्रहालयों के याचिकाकर्ता-विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय में तर्क दिया कि प्राधिकरण शहर से लगे हुए स्मारक में समारोहों के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने में न्यायोचित नहीं था - अवधारित किया गया कि प्राधिकरण द्वारा लगाया गया पूर्ण प्रतिबंध क्षेत्र के लिए उचित नही था क्योंकि इसका उपयोग उचित कार्यों के लिए किया जा सकता था और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किया जा सकता था - स्मारक की स्थिति को देखते हुए क्षेत्र में कोई असुविधा नहीं होने जा रही है - निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए थे: (i) स्मारक का उपयोग मात्र सुबह 08:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे के मध्य उपयुक्त बहुउद्देश्यीय गतिविधियों के लिए किया जा सकता है - 08:00 बजे रात्रि के पश्चात किसी गतिविधि की अनुमति नहीं है; (ii) लेजर लाइट, लाउड संगीत और आतिशबाजी के उपयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का आदेश दिया गया है; (iii) संगीत और अन्य फव्वारे बनाए रखने और कार्य

क्रम में रखने के लिए: (iv) विभाग द्वारा लगाई गयी अन्य शर्तों का कठोरता से पालन किया जाना चाहिए: (v) अपेक्षित पर्यवेक्षी और अन्य कर्मचारी/माली आदि रखरखाव के लिए समर्पित होना; (vi) यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के लिए और अपेक्षित बागवानी विकास के लिए एक सलाहकार नियुक्त किया जाए और इस उद्देश्य के लिए एक अतिरिक्त परियोजना तैयार की जाए और दस्तावेजों पर रखी जाए। 173 उच्च न्यायालय संग्रह [2020] 4 एस.सी.आर.

सिविल अपीलीय न्यायाधिकरणः सिविल अपील नं0-1470/2016

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल जोनल, भोपाल के मूल आवेदन संख्या 132/2013 (सी.जेड.) के निर्णय और आदेश से।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ0 मनीष सिंधवी, डी.के. देवेन, सुश्री शैलजा नंदा मिश्रा, अर्पित प्रकाश, संदीप कुमार झा, मिलिंद कुमार, रोहित कुमार सिंह।

उत्तरदाता व्यक्तिगत उपस्थित।

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय दिया गया था।

## निर्णय

**1.** प्रस्तुत याचिका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल जोनल, भोपाल (संक्षेप में, 'ट्रिब्यूनल') द्वारा मूल आवेदन संख्या 132/2013 (सी.जेड.) में पारित निर्णय और आदेश दिनांक-05.11.2014 से व्यथित होकर पुरातत्व और संग्रहालय विभाग द्वारा योजित की गई है। मामला राजस्थान राज्य के जयपुर के झालाना में स्थित "सिसोदिया रानी का बाग" (संक्षेप में, 'स्मारक') से सम्बंधित है।

**2.** कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग ने दिनांक-08.02.2012 की अधिसूचना के माध्यम से स्मारक को संरक्षित घोषित किया। इसके पश्चात राजस्थान सामान्य विकास विभाग ने पर्यवेक्षण के लिए स्मारक को पुरातत्व और संग्रहालय विभाग को हस्तांतरित कर दिया। विवाह और अन्य समारोह के कार्यक्रम स्मारक में आयोजित होते थे। इसलिए ऐसे समारोह आयोजित करने की शर्तों को निर्दिष्ट करते हुए एक अधिसूचना दिनांक-07.06.2012 को जारी की गई थी।

**3.** प्रतिवादी संख्या 1- आशीष गौतम ने रिट याचिका के माध्यम से राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका प्रस्तुत की जिसमें आरक्षित वन क्षेत्र में वन्यजीवों की

सुरक्षा के बारे में उचित निर्देश जारी करने और स्मारक में लेजर लाइट, तीव्र संगीत और आतिशबाजी के उपयोग पर रोक लगाने के लिए आग्रिम निर्देश निर्गत करने की प्रार्थना की गई थी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने मामले को एन.जी.टी. में स्थानान्तरित कर दिया। विवादित निर्णय और आदेश के माध्यम से प्राधिकरण ने माना कि स्मारक वन क्षेत्र का हिस्सा है और निर्देश दिया कि स्मारक में विवाह आदि जैसे सामाजिक समारोह आयोजित करने और आतिशबाजी, तेज़ संगीत के उपयोग की कोई अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए यह याचिका योजित हुई है।

**4.** याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि शहर के निकट स्थित स्मारक में समारोह आयोजित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना न्यायाधिकरण द्वारा उचित नहीं था। उपरोक्त लगाए गए प्रतिबंध से राज्य के पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और सम्पूर्ण स्मारक की उपयोगिता समाप्त हो जाएगी और इसका रखरखाव मुश्किल हो जाएगा। यह जयपुर-आगरा राजमार्ग पर स्थित है और जयपुर शहर से 03 कि.मी. दूर है। स्मारक का स्थान पर्यटन उद्देश्यों और ऐसे समारोहों के आयोजन के लिए आदर्श और बहुत महत्वपूर्ण है। स्मारक एक ऐतिहासिक स्थान है और इसका उपयोग लंबे समय से समारोह आयोजित करने के लिए किया जाता रहा है, इस प्रक्रिया में अर्जित राजस्व राज्य के राजस्व को बढ़ावा देता है। प्रार्थना को मूल आवेदन में केवल उन समारोहों के आयोजन के लिए शर्तें लगाने तक ही सीमित रखा गया था ताकि वन्यजीवों को किसी भी तरह से परेशान न किया जाए। विशिष्ट दिशानिर्देश मौजूद थे और यदि किसी और प्रतिबंध की आवश्यकता थी तो पूर्ण प्रतिबंध के स्थान पर इसका आदेश दिया जा सकता था। इस प्रकार प्राधिकरण का आदेश सार्वजनिक हित और राजस्थान राज्य में पर्यटन के हित के विरुद्ध है। किसी भी बड़े पैमाने पर रोशनी की अनुमति नहीं थी जो वन्यजीवों को परेशान कर सकती थी। स्मारक के आसपास यातायात प्रतिबंधित है और केवल दोपहिया वाहनों को ही वहां से गुजरने की अनुमति है। तीव्र आवाज में लाउडस्पीकर के प्रयोग पर रोक है। जिला प्रशासन, जयपुर द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी व्यक्ति को नहीं है। प्रश्नगत स्मारक बाघ परियोजना का हिस्सा नहीं है।

**5.** इस न्यायालय ने दिनांक-22.10.2019 के आदेश द्वारा राज्य सरकार को क्षेत्र के सौंदर्यीकरण और स्मारक को सजाने के लिए उद्यान विकसित करने की योजना बनाने का निर्देश दिया। उक्त के अनुपालन में राजस्थान राज्य की ओर से एक शपथपत्र योजित किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक-30.10.2019 को प्रमुख सचिव, कला और संस्कृति विभाग, राज्य सचिवालय द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें मुख्य वन संरक्षक और एच.ओ.एफ.एफ., अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्यजीव वार्डन, निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, कार्यकारी निदेशक (कार्य), आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण एवं वृत्त अधीक्षक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, वृत्त जयपुर ने भाग लिया था। स्मारक के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए एक विस्तृत योजना तैयार करने के लिए एक सलाहकार को नियुक्त करने

का निर्णय लिया गया। मुख्य सचिव ने इसकी स्वीकृति दे दी है। सलाहकार की राय मिलने पर एक विस्तृत योजना तैयार की जाएगी और स्मारक के सौंदर्यीकरण के लिए तदनुसार कार्रवाई की जाएगी ताकि यह अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित कर सकें।

**6.** प्रतिवादी - आशीष गौतम ने प्राधिकरण द्वारा पारित आपेक्षित आदेश का समर्थन किया। उन्होंने तर्क दिया कि जंगल में अनुमत गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। चूंकि यह क्षेत्र वन क्षेत्र में आता है और सिसौदिया रानी उद्यान वन विभाग के नाम पर दर्ज है इसलिए प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

***7.*** याचिकाकर्ता द्वारा स्मारक की एक पर्यटन विकास योजना अनुबंध ए-1 के रूप में संलग्न की गई है। यह बताया जाता है कि इसका निर्माण वर्ष 1728 में महाराजा सवाई जय सिंह ने करवाया था। रानी, राजा की बहुत मनमोहक थी और उन्हें यह खूबसूरत बगीचा उपहार में मिला था और इसलिए इसे "सिसोदिया रानी का बाग" के नाम से जाना जाता है। उद्यान की संरचना मुगल और भारतीय शैली की वास्तुकला का एक आदर्श उदाहरण है। उद्यान में सबसे लुभावने और सुंदर फव्वारे, जल चैनल और कई चित्रित मंडप हैं। इसमें कई भित्ति चित्र और चित्रकारी हैं जो भगवान कृष्ण और राधा की किंवदंतियों पर आधारित विषय को दर्शाते हैं। यह उद्यान देखने वालों को अधिक आकर्षित करता है क्योंकि यह प्रेम के प्रतीक के रूप में खड़ा है और ताजपोशी प्रमुखों और शाही महिलाओं के लिए ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल के रूप में कार्य करता है। आगंतुकों का समय सुबह 08:00 बजे से शाम 08:00 बजे तक है। बगीचे के अंदर फव्वारा और महल के तत्वों को उजागर करने वाली गतिशील रंगीन रोशनी शाम 06:00 बजे से 08:00 बजे तक संचालित होती है। स्मारक के आसपास अन्य आकर्षण जैसे भगवान विष्णु के मंदिर, भगवान शिव, और भगवान हनुमान के मंदिर भी हैं। इसे राजस्थान के पुरातत्व और संग्रहालय विभाग द्वारा दिनांक-01.05.2012 को एक संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था और संरक्षण के सिद्धांतों के अनुसार जीर्णोद्धार का काम शुरू किया गया था। महल का उद्यान भाग और बाहरी प्रांगण पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। स्मारक में कई रखरखाव कार्य किए गए हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान महल एवं उद्यान के संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं विकास पर लगभग 170 लाख रुपये का व्यय किया गया है। प्रतिदिन लगभग 100 पर्यटक स्मारक देखने आते हैं। इस स्थान को और अधिक सुंदर बनाने, एक विरासत संग्रहालय खोलने, फव्वारे और प्रकाश व्यवस्था को उन्नत करने और इस गंतव्य को पर्यटकों के लिए और अधिक आकर्षक बनाने के लिए पर्यटक सुविधाओं और साइनेज में सुधार करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित कार्यों की रूपरेखा इस प्रकार है:

(i) महल में विरासत संग्रहालय का विकास;

(ii) साइट का बागवानी सुधार;

(iii) मौजूदा विद्युत और प्रकाश व्यवस्था का प्रतिस्थापन;

(iv) मौजूदा संगीतल फाउंटेन और वॉटर बॉडी का प्रतिस्थापन;

(v) एक्सेस कंट्रोल और सुरक्षा प्रणाली की स्थापना;

(vi) पर्यटक सुविधाओं में सुधार; और

(vii) स्ट्रीट फर्नीचर, सूचना साइनेज प्रणाली में सुधार।

उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों का अनुमानित कुल व्यय रु0. 368 लाख रूपये है। पर्यटन विकास योजना में परियोजनाओं और उद्देश्यों, परिचय, विभिन्न तस्वीरें, कार्य का दायरा, प्रक्रिया और धारणाएं, परियोजना संरक्षण का दायरा, वास्तुशिल्प विशेषताएं, स्थानिक विवरण, मंडप योजना, आंतरिक और बाहरी विशेषताएं, दीवार चित्रकारी और निर्माण का विवरण भी शामिल है। प्रयुक्त सामग्री एवं तकनीक. उल्लिखित स्थल का महत्व इस प्रकार है:

**"3 स्थल का महत्व**

**3.1 सांस्कृतिक महत्व**

सिसौदिया रानी का बाग अधिक्तर अपनी स्थापत्य विरासत और भगवान कृष्ण और राधा के जीवन को दर्शाने वाली जटिल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। यह महल बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि यह सिसौदिया की राजपूत रानी का है और इसका उपयोग रानी द्वारा एक मनोरंजक महल के रूप में किया जाता था, जो 18 वीं शताब्दी की रानी के निजी जीवन की झलक देता है, जिसे अधिक्तर नजरअंदाज कर दिया जाता है। हम हमेशा राजाओं के जीवन के बारे में बात करते हैं, रानियों के बारे में नहीं।

स्थानीय लोगों के अनुसार वहाँ शादियाँ होती थीं और पूरा उद्यान क्षेत्र सभा स्थल हुआ करता था। बावली और बावली के बगल की जगह उसी के लिए रसोई क्षेत्र के रूप में काम करती थी। महल का एक और बहुत महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि मनोरंजन के लिए वर्षा जल का उत्कृष्ट उपयोग देखा और सीखा जा सकता है। पानी के प्रवाह के लिए तंत्र प्राकृतिक ढलान था और पानी के चैनल बगीचे की पूरी लंबाई और चौड़ाई में स्थित थे, यहां तक कि साइट पर वृक्षारोपण के पानी के प्रयोजन के लिए भी उपयोग किया जाता था। यह प्रथा जयपुर के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, इसकी जलवायु और कम वर्षा के कारण, वर्षा जल को बचाना और उसका पुन: उपयोग करना वहां के लोगों की एक उत्साही प्रथा थी।

**3.2 स्थापत्य महत्व**

सिसौदिया रानी का बाग वास्तुकला की राजपूत शैली का एक उदाहरण है जिसमें मुगल शैली की वास्तुकला के तत्व भी शामिल हैं। बगीचे की चार बाग व्यवस्था मुगल शैली से है, छतरियां, जालियां राजपूत शैली से हैं और पत्थर की कोष्ठक राजपूत

वास्तुकला से हैं। पान पत्ती कॉर्निस, जटिल जालियां और स्पष्ट भित्तिचित्र जैसी विशेषताएं राजपूत शैली की अन्यथा सरल संरचना के आकर्षण को बढ़ाती हैं।

इस महल में शिखरदार मेहराबदार मार्ग, बंगलाधार छतों को सहारा देने वाली सच्ची मेहराबदार संरचना, जटिल संगमरमर के स्तंभों द्वारा समर्थित गुम्बदीय छतें हैं जो कमरों की ओर देखने वाले पत्थर के फर्श पर खड़ी हैं और मेज़ानाइन क्षेत्र देखने वाले को दृश्य आनंद देते हैं। पत्थर की जालियां, संगमरमर के फर्श, पत्थर की छतरियां, तिबारियां, बुर्ज, पत्थर की रेलिंग, भित्तिचित्र और लकड़ी के दरवाजों की जटिल बारीकियां लोगों को आनंदित करती हैं।

### 3.3 आर्थिक महत्व

विरासत पर्यटन जयपुर शहर की प्रमुख आर्थिक जीवनरेखाओं में से एक है। इसलिए क्षेत्र की स्थापत्य विरासत की सुरक्षा और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जयपुर की निर्मित विरासत को संरक्षित करना आवश्यक है जो शहर की एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि है। बुनियादी पर्यटक सुविधाओं के अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के प्रति जागरूक विकास के माध्यम से उचित योजना के साथ पर्यटन बढ़ सकता है। ये संरचनाएँ शहर के ताने-बाने का हिस्सा हैं।

पर्यटक आमतौर पर पड़ोसी देशों और राज्यों से बसों, ट्रेनों और हवाई मार्ग से आते हैं क्योंकि यह आगरा और दिल्ली के साथ पर्यटन के स्वर्ण त्रिकोण का एक हिस्सा है। जैसा कि पहले चर्चा की गई है कि जयपुर में कई विरासत स्थल हैं और सिसौदिया रानी का बाग भी उस संस्कृति और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का हिस्सा है जिससे जयपुर विकसित हुआ है।

जयपुर में पूरे वर्ष में कई पर्यटक आते हैं और अधिक्तर अक्टूबर से मार्च तक आते हैं क्योंकि यह सर्दियों का मौसम है और यह अन्य देशों के पर्यटकों के लिए बहुत अनुकूल है। राजस्थान पर्यटन मंत्रालय के अनुसार मात्र जयपुर में 25% से 35% तक अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों का आना देखा गया है।

पिछले पांच वर्षों में किये गये कार्यों का ब्योरा दिया गया है। योजना के उद्देश्य पर्यटन विकास योजना के भाग-05 में निर्दिष्ट हैं। स्थल की स्थितियाँ, संपत्ति को प्रभावित करने वाले कारक, परियोजना प्रस्ताव, कार्यों का दायरा और रेखाचित्रों का भी विस्तार से उल्लेख किया गया है।

**8.** वर्तमान में यह स्मारक एक पुरातात्विक स्मारक है और इसका उपयोग विभिन्न समारोह आयोजित करके राजस्व अर्जित करने के लिए किया जा रहा था। इसी क्रम में इसका रखरखाव भी किया गया। यह स्मारक जयपुर-आगरा राजमार्ग के निकट है एवं इसका ऐतिहासिक महत्व है और यह पूरी तरह से एक पक्की संरचना से घिरा हुआ है। हालांकि स्मारक वन्य क्षेत्र के रूप में दर्ज है लेकिन यह वन क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है। रात 08:00 बजे के पश्चात विभिन्न समारोह आयोजित करने के लिए स्मारक के उपयोग की अनुमति देना उचित नहीं होगा। पर्यटकों का समय सुबह 8.00 बजे से रात 8.00 बजे तक है। उपरोक्त समयावधि एवं ऐतिहासिक स्मारक के महत्व और दीवार से घिरी हुई संरचना होने को दृष्टिगथ रखते हुए के इसकी क्षमता को बहुउद्देश्यीय उपयुक्त गतिविधियों के लिए उपयोग किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। साथ ही शोर पर भी प्रतिबंध है जिसका कठोरता से पर्यवेक्षण किया जाता है। इसके अलावा सरकार ने इलाके में कई अन्य प्रतिबंध भी लगाए हैं। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ध्वनि और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए स्मारक के अंदर और उसके आसपास कोई आतिशबाजी न हो। लेज़र लाइट के उपयोग पर भी प्रतिबंध आवश्यक है। दुर्लभ नस्ल के सजावटी पौधों और फूलों वाले पौधों से उद्यान का सौंदर्यीकरण भी आवश्यक है। संगीतमय एवं अन्य फव्वारों का रख-रखाव एवं उन्हें व्यवस्थित रखना आवश्यक है। हालाँकि प्राधिकरण द्वारा लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि क्षेत्र का उपयोग उचित कार्यों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने के लिए किया जा सकता है। स्मारक की स्थिति को देखते हुए क्षेत्र में कोई असुविधा नहीं होने वाली है। रिट याचिका में ही वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर याचना की गई थी कि लेजर लाइट, तीव्र संगीत और आतिशबाजी की इजाजत न दी जाए। हालाँकि उद्यान की देखभाल के लिए अपेक्षित संख्या में कर्मचारी और माली और पर्यवेक्षकों की तैनाती करना आवश्यक है जिसके लिए अपेक्षित कदम उठाए जाएं।

**9.** हम निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं:

(i) स्मारक का उपयोग उचित बहुउद्देशीय गतिविधियों के लिए केवल सुबह 08:00 बजे से शाम 08:00 बजे के मध्य किया जा सकता है। रात 08:00 बजे के पश्चात किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) लेजर लाइट, तीव्र संगीत और आतिशबाजी के उपयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का आदेश दिया गया है।

(iii) संगीतमय और अन्य फव्वारों का रखरखाव किया जाना चाहिए और उन्हें चालू हालत में रखा जाना चाहिए।

(iv) विभाग द्वारा लगाई गई अन्य शर्तों का कड़ाई से पालन किया जाए।

(v) स्थल के रख-रखाव और देखभाल के लिए अपेक्षित पर्यवेक्षी और अन्य कर्मचारी/माली आदि को तैनात किया जाए।

(vi) हम निर्देश देते हैं कि क्षेत्र के सौंदर्यीकरण और अपेक्षित बागवानी विकास के लिए एक सलाहकार नियुक्त किया जाए और एक अतिरिक्त परियोजना योजना तैयार की जाए और पत्रावली पर रखी जाए।

हम तदनुसार प्राधिकरण के आदेश को संशोधित करते हैं। याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

हम सौंदर्यीकरण और आगे के विकास कार्यों की निगरानी स्वयं करने का प्रस्ताव रखते हैं। सलाहकार की रिपोर्ट और अब तक की गई अतिरिक्त योजना और विकास को आज से एक महीने के अन्दर पत्रावली पर रखा जाए।

एक माह पश्चात मामले को नियत किया जाय।

अंकित ग्यान की ओर से योजित याचिका आंशिक रुप से स्वीकृत।

**anamika singh**